



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 15

पटना, बुधवार,

25 चैत्र 1948 (श०)

15 अप्रील 2026(ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	
	पूरक
	पूरक-क

02-13

14-20

21-44

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

कृषि विभाग

अधिसूचना

17 मार्च 2026

सं० 4/कृ०बी०नि०-01/2017-1941/कृ०—कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-4462, दिनांक-05.10.2025 के द्वारा बिहार कृषि सेवा, कोटि-01 (शष्प) के कतिपय पदों के पदनाम सम्परिवर्तन के फलस्वरूप बिहार राज्य बीज निगम लि०, पटना के निदेशक पद हेतु निर्गत कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-3677, दिनांक-17.12.2020 के क्रमांक-09 पर अंकित संयुक्त निदेशक (शष्प), फसल एवं प्रक्षेत्र के स्थान पर सम्परिवर्तित पदनाम संयुक्त निदेशक (शष्प), प्रक्षेत्र एवं बीज उत्पादन पढ़ा जाय।

2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-3677, दिनांक-17.12.2020 के शेष सभी बिन्दु यथावत रहेंगे।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार, सरकार के विशेष सचिव।

गृह विभाग (विशेष सचिव)

अधिसूचना

13 फरवरी 2026

सं० स्टे०/झा०/वि०-13/2025-1714—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव, बिहार एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
के० सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 फरवरी 2026

एस०ओ० 96, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री चक्रपाणि चौधरी, नोटेरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-7459/जे०, दिनांक-08.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/एबी-19/85/1845/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 फरवरी 2026

एस0ओ0 96, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एबी-19/85/1845/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th February 2006

S.O. 96, Dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of **Shri Chakrapani Chaudhary**, Notary, **Darbhanga** whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7459/J, dated- 08.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/AB-19/85/1845/J)

By Order of the Governor of Bihar

Nitish kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

24 फरवरी 2026

एस0ओ0 97, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री तैयब हुसैन खौं, नोटेरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7459/जे0 दिनांक- 08.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-78/92/1668/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 फरवरी 2026

एस0ओ0 97, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/नोट-78/92/1668/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th February 2026

S.O.-97 Dated The 15th April 2026-- In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Taiyab Hussain Khan, Notary, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7459/J, dated- 08.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No. A/NOT-78/92/1668/J)

By Order of the Governor of Bihar

Nitish kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

19 फरवरी 2026

एस0ओ0 98, दिनांक 15 अप्रैल 2026—नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मो0 मोजिब अख्तर खाँ, नोटेरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-392/जे0, दिनांक-25.01.1993 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-12-92/1524/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 फरवरी 2026

एस0ओ0 98, दिनांक 15 अप्रैल 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-12-92/1524/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th February 2026

S.O. 98, Dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Md. Mojib Akhtar Khan, Notary, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 392/J, dated- 25.01.1993 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/AB-12/92/1524/J)

By Order of the Governor of Bihar

Nitish kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

27 फरवरी 2026

एस0ओ0 99, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-847/जे0, दिनांक-08.03.2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.03.2026 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा	08.03.2006	बी0ए0 एल0एल0बी0	शेखपुरा जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/2002/1843/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 फरवरी 2026

एस0ओ0 99, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सं0सं0-ए0/(एस)नोट-32/2002/1843/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th February 2026

S.O. 99, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ashirbad Kumar Bhartiya**, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 847/J dated 08.03.2006 to practice as notary again for the next five year from 08.03.2026

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ashirbad Kumar Bhartiya	Advocate-cum-Notary Civil Court, Sheikhpura	08.03.2026	B.A L.L.B	Sheikhpura Distt.-	

(No.-A/NOT-32/2002/1843/J)

By Order of the Governor of Bihar

Nitish kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

27 फरवरी 2026

एस0ओ0 100, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2027/जे0, दिनांक-13.06.2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रदीप कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.06.2026 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रदीप कुमार झा	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, नवगछिया, जिला-भागलपुर	13.06.2001	बी0ए0 (प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0	भागलपुर-जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/97/1844/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

27 फरवरी 2026

एस0ओ0 100, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/97/1844/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th February 2006

S.O. 100, dated The 15th April 2026-- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pradiip Kumar Jha**, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2027/J** dated **13.06.2001** to practice as notary again for the next five year from **13.06.2026**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pradip Kumar Jha	Advocate-cum-Notary Subdivision Court, Naugachiya, Distt-	13.06.2001	B.A(Hons) L.L.B	Bhagalpur Distt.-	

(No.-A/NOT-32/97/1844/J)

By Order of the Governor of Bihar

Nitish kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

20 मार्च 2026

एस0ओ0 101, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम सुन्दर शर्मा, (नामांकन सं0-2730/2006), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0सं0-ए0/नोट-523/2025/2381/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

20 मार्च 2026

एस0ओ0 101, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-523/2025/2381/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 20th March 2006

S.O. 101, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Shyam Sunder Sharma, (Enrolment No.- 2730/2006)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(No. A/Not-523/2025/2381/J)

By order of the Governor of Bihar

Nitish Kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

23 मार्च 2026

एसओ 102, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री राजेश कुमार चौधरी**, (नामांकन सं०- BR/1468/1995) अधिवक्ता, **पटना** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पटना** जिला के लिए **पटना** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-474/2025/2453/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

23 मार्च 2026

एसओ 102, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-474/2025/2453/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23th February 2026

S.O. 102, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Rajesh Kumar Choudhary (Enrolment No.- BR/1468/1995)**, Advocate, **Patna** a notary under the said Act who will act as such, in **Patna** district for the district of **Patna** for the next five years.

(File no. -A/Not-474/ 2025/2453/J)

By order of the Governor of Bihar

Nitish Kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 103, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नितेश कुमार, (नामांकन सं0- BR/709/2013) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 103, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल का प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 103, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Nitesh Kumar (Enrolment No.- BR/709/2013)**, Advocate, **Sitamarhi** a notary under the said Act who will act as such, in **Sitamarhi** district for the district of **Sitamarhi** for the next five years.

(File no. -A/Not-438/ 2025/7159/J)

By order of the Governor of Bihar

Nitish Kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

14 अक्टूबर 2025

एस0ओ0 104, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्य प्रकाश निराला, (नामांकन सं0- BR/4108/1999) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2025/6689/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्टूबर 2025

एस0ओ0 104, दिनांक 15 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2025/6689/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 104, dated The 15th April, 2026—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Satya Prakash Nirala (Enrolment No.- BR/4108/1999)**, Advocate, **Sitamarhi** a notary under the said Act who will act as such, in **Sitamarhi** district for the district of **Sitamarhi** for the next five years.

(No. A/Not-178/ 2025/6689J)

By order of the Governor of Bihar

Nitish Kumar

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 105, दिनांक 15 अप्रैल 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री विजय कुमार गुप्ता**, (नामांकन सं0- **BR/2861/2003**) अधिवक्ता, **पटना** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पटना** जिला के लिए **पटना** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2025/5971/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 105, दिनांक 15 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2025/5971/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 16th September 2025

S.O. 105, dated The 15th April, 2026—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Vijay Kumar Gupta (Enrolment No.- BR/2861/2003)**, Advocate, **Patna** a notary under the said Act who will act as such, in **Patna** district for the district of **Patna** for the next five years.

(No. A/Not-106/ 2025/5971J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar,

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

16 सितम्बर 2025

एसओ 106, दिनांक 15 अप्रील 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नरेन्द्र कुमार, (नामांकन सं०-BR/1760/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-38/2025/5972/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2025

एसओ 106, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-38/2025/5972/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 16th September 2025

S.O. 106, The 15th April, 2026—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Narendra Kumar (Enrolment No.- BR/1760/2009)**, Advocate, **Patna** a notary under the said Act who will act as such, in **Patna** district for the district of **Patna** for the next five years.

(No.-A/Not-38/ 2025/5972J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar,

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

14 अक्टूबर 2025

एस0ओ0 107, दिनांक 15 अप्रैल 2026—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार, (नामांकन सं0- BR/1841/1996) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2025/6673/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्टूबर 2025

एस0ओ0 107, दिनांक 15 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2025/6673/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 107, dated The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Anil kumar (Enrolment No.- BR/1841/1996)**, Advocate, **Patna** a notary under the said Act who will act as such, in **Patna** district for the district of **Patna** for the next five years.

(No.-A/Not-09/ 2025/6673J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar,

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

1 अप्रैल 2026

एस0ओ0 108, दिनांक 15 अप्रैल 2026—नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सीताराम प्रसाद, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2012/2604/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

1 अप्रील 2026

एसओ 108, दिनांक 15 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-81/2012/2604/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 1st April 2026

S.O. 108, dated The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Sita Ram Prasad, Notary, Jehanabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7347/J, dated- 04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/Not-81/ 2012/2604J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar,

Joint Secretary to the Government of Bihar

-Cum- Additional Legal Remembrancer

(Competent Authority)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 4—571+50-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

आदेश

11 नवम्बर 2025

सं० 2086—श्री बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर, ग्राम—रामपुर राउत उर्फ रौता, पत्रालय+थाना—कुशेश्वरस्थान, अंचल—कुशेश्वरस्थान (पूर्वी), जिला—दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन सं० 1664 है।

उक्त मंदिर के सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 372, दिनांक 25.06.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, विरौल की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया है। तत्पश्चात् पर्षदीय आदेश ज्ञापांक 1380, दिनांक 29.08.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 209, दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रेषित सूची में नामित दो अन्य नामों पर विचारोपरांत (1) श्री बाबू कांत झा, पिता श्री गोपालजी झा एवं (2) श्री संतोष पोद्दार, पिता श्री राम चंद्र पोद्दार को न्यास समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

न्यास समिति सदस्य, श्री बाबू कांत झा के संबंध में आज पर्षद के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनपर दो अपराधिक मुकदमा क्रमशः टी०आर० 370/22/सी०आर०आई०/25/12 और सी०आर० केस सं० 21/2024 चल रहा है जिसमें न्यायाधिक मजिस्ट्रेट द्वारा दफा 406 और 420 आई०पी०सी० तथा धारा 323, 341, 385/34 आई०पी०सी०, जो एक संज्ञेय अपराध है; के तहत संज्ञान लिया जा चुका है एवं उपरोक्त मामलों में सुनवाई चल रही है। खेदजनक है कि उपरोक्त तथ्यों को मेरे समक्ष पूर्व में नहीं लाया गया है।

सदस्य, श्री बाबू कांत झा की नियुक्ति पर्षद के यह निर्देश कि “न्यास समिति के कोई सदस्य यदि आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जाएगी” तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं० 17322/22 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में प्रदान किए गए निर्देश के विरुद्ध है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में न्यास समिति सदस्य, श्री बाबू कांत झा की नियुक्ति को नियुक्ति की तिथि से ही शुन्य माना जाता है और उनकी सदस्यता को समाप्त की जाती है।

आदेश से,
प्र० रणवीर नंदन,
अध्यक्ष।

19 दिसम्बर 2025

सं० 2277—माँ जगदम्बा मंदिर, आनन्दधाम, कचहरी रोड, पोस्ट वो थाना—मोतिहारी, जिला—पूर्वी चम्पारण जो पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या 3340 है।

इस न्यास के सुचारु संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2575, दिनांक 15.12.1998 द्वारा न्यास समिति का गठन अगले आदेश तक के लिए किया गया था। जिसके अधिकांश सदस्यों की मृत्यु हो गयी है। नयी न्यास समिति गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक 4763, दिनांक 21.01.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी, जिला—पूर्वी चम्पारण से नाम मांगा गया था। जो अबतक अप्राप्त है। निवर्तमान सचिव श्री चन्द्रकिशोर मिश्र से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2025 में भी मंदिर की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन हेतु न्यास समिति का पुर्नगठन करने का आग्रह किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में निम्नांकित रूप से न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है :—

- | | | |
|--|---|-----------|
| 01. श्री चन्द्रकिशोर मिश्र, राजा बाजार, मोतिहारी | — | अध्यक्ष |
| 02. श्री मनोज पासवान, बरियारपुर, मोतिहारी, | — | उपाध्यक्ष |
| 03. श्री विजय सहनी, छोटा बरियारपुर, मोतिहारी, | — | सचिव |

04. श्री अरविन्द सिंह, हवाई अड्डा, मोतिहारी,	—	कोषाध्यक्ष
05. श्री संतोष कुमार सिंह उर्फ पप्पु सिंह, मजुरहा, मोतिहारी,	—	सदस्य
06. श्री संजय सिंह, मजुरहा, मोतिहारी,	—	सदस्य
07. श्री राधाकान्त ठाकुर, छोटा बरियारपुर, मोतिहारी	—	सदस्य
08. श्री रामजीत पासवान, मजुराहा, मोतिहारी	—	सदस्य
09. श्री राजन मिश्रा, गोपालपुर, मोतिहारी,	—	सदस्य
10. श्री राजीव द्विवेदी, गोपालपुर, मोतिहारी	—	सदस्य
11. श्री रतनेश तिवारी, चीनी मिली बरियारपुर, मोतिहारी	—	सदस्य

उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल पुर्नगठन की तिथि से पाँच वर्षों का होगा और वो निम्नांकित कार्यों का निष्पादन करेगी :-

1. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
2. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
4. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
5. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति द्वारा किसी भी प्रकार का किराया/बन्दोबस्ती आदि तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा।
13. न्यास समिति के सभी सदस्यों को अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर नोटरीकृत स्व-घोषणा हलफनामा पर्षद में दाखिल करना अनिवार्य है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि विषय-वस्तु गलत है, तो वह कानून के अनुसार 'बोर्ड' द्वारा दंडनीय होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

आदेश से,
प्रो० रणवीर नंदन,
अध्यक्ष।

16 दिसम्बर 2025

सं० 2243—मुजफ्फरपुर नगर सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। इस न्यास की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 द्वारा एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए निम्नांकित व्यक्तियों की एक न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया था, जिसके कार्यकाल समाप्ति उपरान्त पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 3340, दिनांक 28.12.2022 द्वारा एक वर्ष और पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 3239, दिनांक 28.12.2023 द्वारा अगले दो वर्ष (दिनांक 27.12.2025) के लिए बढ़ाया गया था।

1. श्री सरेश चन्द्र पाण्डेय (अ० प्रा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) — अध्यक्ष,
2. श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, पुत्र स्व० चतुर्भुज साह, — उपाध्यक्ष,
3. श्री दिलीप जालान, पुत्र स्व० पशुपति जालान — सचिव,
4. श्री रेवती प्रसाद गोयनका, पुत्र स्व० नन्दलाल गोयनका — कोषाध्यक्ष,
5. श्री राजेन्द्र पटेल, पुत्र स्व० भगवान सिंह — सदस्य,
6. प्र० मनोज सिंह, पुत्र स्व० शिवपूजन सिंह — सदस्य,
7. श्री प्रदीप कुमार केजरीवाल पुत्र स्व० ओम प्रकाश केजरीवाल — सदस्य,
8. श्री राज कुमार पासवान पुत्र स्व० नगीना पासवान — सदस्य,
9. श्री पंचम राय, पुत्र स्व० विश्वनाथ राय — सदस्य,
10. श्री अश्वेश्वर राय, पुत्र स्व० रामअवतार राय, — सदस्य,
11. श्री अनील कुमार महतो, पुत्र श्री विश्वनाथ महतो — सदस्य,

न्यास समिति द्वारा मंदिर और मंदिर की भूमि की व्यवस्था हेतु सुचारु रूप से कार्य किया जा रहा है तथा न्यास के विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जो संतोषजनक प्रतीत होता है। साथ ही न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए वर्तमान न्यास समिति द्वारा कई मुकदमों में पैरवी भी की जा रही है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 28.12.2025 से अगले पाँच वर्ष (दिनांक 27.12.2030) के लिए बढ़ाया जाता है। न्यास समिति अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 में वर्णित शर्तों का पालन करेगी। साथ ही न्यास समिति के उपाध्यक्ष सच्चिदानन्द प्रसाद के निधन उपरांत उनके स्थान पर समिति की बैठक दिनांक 12.12.2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में श्री पंचम राय को न्यास समिति के उपाध्यक्ष के पद पर तथा प्र० मनोज सिंह सदस्य जो न्यास समिति के बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं के स्थान पर क्रमशः श्री रंजन कुमार साह पुत्र स्व० बैद्यनाथ प्रसाद एवं रिक्त पद पर श्री कमल अग्रवाल पुत्र स्व० अमर चंद अग्रवाल को सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है।

आदेश से,
प्र० रणवीर नंदन,
अध्यक्ष।

29 जुलाई 2025

सं० 841—श्री बालेश्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्राम+पो०—विद्यापतिनगर, अनुमंडल—दलसिंहसराय, जिला—समस्तीपुर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—34 के अंतर्गत एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या—1917/07 है।

उक्त न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सुप्रबंधन हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—4021 दिनांक—27.02.2023 द्वारा अस्थायी रूप से 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात् सी०डब्लू०जे०सी० सं०—17322/22 में पारित आदेश दिनांक—23.7.2024 में निहित निर्देश के आलोक में पर्षदीय पत्रांक—2911 दिनांक—24.02.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से नवीन न्यास समिति गठन हेतु स्वच्छ छवि के व्यक्तियों की सूची पर्षद को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर प्रतिवेदन पत्रांक—61 दिनांक—04.4.2025 के आलोक में पर्षदीय पत्रांक—84 दिनांक—28.04.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। पर्षदीय पत्रांक—151 दिनांक—07.05.2025 द्वारा न्यास समिति के कार्य पर रोक लगाते हुये, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् ग्रामीणों की बैठक दिनांक—17.07.2025 में लिये गये निर्णय के आलोक में पर्षदीय आदेश ज्ञापांक—721 दिनांक—23.07.2025 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन होने तक पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—4021 दिनांक—27.02.2023 द्वारा गठित अस्थायी न्यास समिति को पुनः कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस बीच पर्षदीय पत्रांक—84 दिनांक—28.04.2025 के आलोक में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक—114 दिनांक—30.06.2025, जिसके साथ आम सूचना दिनांक—28.03.2025, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर का प्रतिवेदन पत्रांक—446, दिनांक—02.04.2025 एवं पत्रांक—1106, दिनांक—24.06.2025 की छायाप्रति संलग्न है तथा ग्रामीणों का आवेदन दिनांक—28.07.2025 भी पर्षद को प्राप्त है। जिसमें जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक—61, दिनांक—04.04.2025 के आलोक में प्रस्तावित न्यास समिति के गठन का आग्रह किया गया है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरान्त न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक—61 दिनांक—04.04.2025 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंहसराय जिला—समस्तीपुर की अध्यक्षता में नवीन न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं प्र० रणवीर नन्दन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री बालेश्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्राम+पो०—विद्यापतिनगर, अनुमंडल—दलसिंहसराय, जिला—समस्तीपुर के सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन,

प्रशासन तथा निधियों के नियोजन एवं व्ययन के लिए योजना का निरूपण करता हूँ और इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री बालेश्वर स्थान (विद्यापति धाम), न्यास योजना, ग्राम+पो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिये गठित न्यास समिति का नाम "श्री बालेश्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्राम+पो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

4. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्वद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

5. न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्वद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्वद को प्रेषित की जायेगी।

8. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष न्यास समिति के बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

11. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।

12. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए समाहर्ता, समस्तीपुर से प्राप्त नामों में से निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है।

14. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रूरता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा-11, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-325 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः न्यास/मंदिर/मंठ आदि में रहने वाले गोवंश एवं अन्य पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी पशु के प्रति क्रूरता एवं परिणाम वध/मृत्यु होता हो या ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता हो ऐसा कोई कार्य कोई भी न्यासधारी/सेवायत/महंत या न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

15. न्यास समिति के अध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्यों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर नोटरीकृत स्व-घोषणा हलफनामा पर्वद में दाखिल करना अनिवार्य है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि विषय-वस्तु गलत है, तो वह कानून के अनुसार 'बोर्ड' द्वारा दंडनीय होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है।

इन लोगों का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पर्वद को प्राप्त है।

01. अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर

—पदेन अध्यक्ष

02. श्री मनिकांत सिंह, पिता—श्री रमेन्द्र सिंह

—सदस्य

ग्राम—साहित, पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।

03. श्री रत्नशंकर भारद्वाज, पिता—स्व0 कपिलेश्वर गिरि,

—सदस्य

ग्राम+पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
04. श्री धर्मराज चैतन्य, पिता—स्व0 पशुपतिनाथ सिंह,	—सदस्य
ग्राम—मलकलीपुर, पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
05. श्री संजय कुमार ठाकुर, पिता—स्व0 महावीर ठाकुर,	—सदस्य
ग्राम—मिर्जापुर, पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
06. श्री जोखन राय, पिता—राम बहादुर राय,	—सदस्य
ग्राम—सुभानीपुर, पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
07. श्री कैलास पासवान, पिता—रामजी पासवान,	—सदस्य
ग्राम—वृन्दावन गाछीटोल, पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर	
08. श्री नवीन कुमार गिरि, पिता—देव नारायण गिरि,	—सदस्य
ग्राम+पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
09. श्री प्रवीन गिरि, पिता—सत्तो गिरि,	—सदस्य
ग्राम+पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
10. श्री दिनदयाल गिरि, पिता—ताराकान्त गिरि,	—सदस्य
ग्राम+पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	
11. श्री हरिओम गिरि, पिता—विश्वनाथ गिरि	—सदस्य
ग्राम+पो0+थाना—विद्यापतिनगर, जिला—समस्तीपुर।	

न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना हस्ताक्षर की तिथि से 05 वर्ष होगी। न्यास समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने मध्य से उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्वद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

आदेश से,

प्रो० रणवीर नन्दन।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

2 जनवरी 2026

सं० 2382— श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारुफगंज, थाना— मालसलामी, पटना सिटी, जिला— पटना बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4612/22 है।

उक्त न्यास की व्यवस्था हेतु पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 5350, दिनांक— 02/03/2022 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। गठित न्यास समिति द्वारा मंदिर का नवनिर्माण कराया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने CWJC No.- 6567/2022 प्रहलाद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार के वाद में दिनांक— 08/10/2024 को न्यास समिति के दो सदस्य क्रमशः प्रहलाद कुमार यादव एवं अतानु साह को उनके विरुद्ध अपराधिक वाद लंबित होने के कारण कार्य करने से रोक लगा दी। साथ ही आदेश के कंडिका— 7 एवं 8 में इस न्यास की व्यवस्था हेतु स्थायी समिति गठन करने का समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा सभी आवेदनों का चरित्र—सत्यापन करवाकर न्यास समिति गठित करने का निर्देश दिया। पर्वद द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में पर्वदीय पत्रांक— 2265, दिनांक— 16/11/2024 द्वारा जिलाधिकारी, पटना को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पत्र निर्गत किया गया। जिलाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन अप्राप्त होने की दशा में न्यास समिति गठन हेतु पर्वदीय पत्रांक— 327, दिनांक— 04/06/2025 द्वारा स्मार—पत्र निर्गत किया गया। समाहरणालय, पटना का पत्रांक— 6267, दिनांक— 16/12/2025 द्वारा न्यास समिति गठन हेतु जांचोपरांत स्वच्छ चरित्र के व्यक्तियों की सूची पर्वद को प्राप्त हुयी। प्राप्त नामों में से 21 व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास शून्य अंकित किया गया तथा 05 व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समाहरणालय, पटना से प्राप्त सूची में प्रस्तावित नामों में से ग्यारह नामों का चयन करते हुये एक न्यास समिति का गठन एवं इसके कार्यान्वयन हेतु योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः मैं, प्रो० रणवीर नन्दन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारुफगंज, थाना— मालसलामी, पटना सिटी, जिला— पटना” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री बड़ी देवीजी मंदिर न्यास योजना, मारुफगंज, थाना— मालसलामी, पटना सिटी, जिला— पटना” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन

के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री बड़ी देवीजी मंदिर न्यास समिति, मारुफगंज, थाना— मालसलामी, पटना सिटी, जिला— पटना” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों एवं धर्मशाला के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मंदिर / मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को शीघ्र बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्न रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

17. न्यास समिति, न्यास स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्य के संबंध में बैठक द्वारा प्रस्ताव पारित करेगी तथा किसी भी भौतिक संरचना के निर्माण से पूर्व बैठक में पारित प्रस्ताव को पर्षद के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। पर्षद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत कोई भी निर्माण कार्य किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति स्थायी रूप से 05 वर्ष के लिए गठित की जाती है:-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला- पटना — अध्यक्ष
2. श्री भगवान दास पिता- राम सेवक लाला दास, मारुफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना- संरक्षक
3. श्री संत प्रसाद गोलवारा पिता- स्व० रामेश्वर प्रसाद गोलवारा, था०- खाजेकला, जिला-पटना — उपाध्यक्ष
4. श्री ईश्वर लाल अग्रवाल पिता- स्व० जैसी लाल राम अग्रवाल, झाउगंज, थाना- चौक, जिला- पटना- उपाध्यक्ष
5. डॉ० राजेश कुमार पिता- स्व० अनिल कुमार, मारुफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना — सचिव
6. श्री सुनील कुमार बंका पिता- स्व० मदन मोहन बंका, झाउगंज, चौक, पटना- कोषाध्यक्ष
7. श्री नारायण प्रकाश साह पिता- स्व० हीरा लालजी साह, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना- सदस्य
8. श्री अजय कुमार केशरी पिता- स्व० रामचंद्र प्रसाद केशरी, मारुफगंज, मासलामी, पटना सिटी, जिला-पटना — सदस्य
9. श्री पुरण जायसवाल पिता- स्व० अर्जुन प्रसाद जायसवाल, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना — सदस्य
10. श्री कमल कुमार पिता- स्व० रामचंद्र प्रसाद, मारुफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना — सदस्य
11. श्री प्रभात कुमार भरतीया पिता- स्व० गोविन्द प्रसाद भरतीया, भरतीया हाउस, चौक, पटना सिटी, जिला- पटना — सदस्य

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक के लिए होगी।

उक्त आदेश के आलोक में “श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारुफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:- न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
प्रो० रणवीर नन्दन,
अध्यक्ष।

Office of The Commissioner, Magadh Division, GayaJi

Office Order 4 April 2026

No.XI-K-रा०-05/2024-69--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter No.-139, dated- 23.03.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Sunil Kumar Singh	District Statistical Officer, Nawada.	District Level
02	SmtNirupama Shankar	District Programme officer, Nawada	District Level
03	Sri Ajay Kumar	District Sub Registrar, Nawada	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 02.04.2026
Sd/-Illegible,

Secretary to Commissioner, Magadh Division, GayaJi.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4—571+50-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No.351—I, SHREEKANT, S/o Late Mohini Mohan Srivastava, R/o 258, Nehru Nagar, P.S. Patliputra, Patna 800013, state that instead of Shree Kant, I Shall be known as Shreekant for all purposes, vide affidavit no. 1151, dated 22 May 2025.

SHREEKANT.

No. 352—I, SANGITA Jha, D/o Late Chandra Shekhar Jha, residing at 258 Nehru Nagar, P.S. Patliputra, Patna 800013, have changed my name from Sangita and Sangita Srivastava to Sangita Jha vide affidavit No. 4298 dated 27 Sept. 2024, sworn before Executive Magistrate Patna Sada.

SANGITA Jha.

No. 353—I, NARENDRA Kumar Tiwari S/o Gauri Shankar Tiwari R/o Naya Tola Proffessor Colony Azad Path, Saristabad, Patna. My name wrongly mentiond as Narendra Tiwari in my son Chahat Tiwari 10th CBSE certificate my name is Narendra Kumar Tiwari. Both names belongs to same and one person. I shall be known as Narendra Kumar Tiwari for futue purposes. Affidavit No. 28 dated 9.1.2026

NARENDRA Kumar Tiwari.

No. 355—I, Anjan Kumar Srivastava S/o Late Nagendra Prasad Srivastava R/o Vodaphone Tower, Postmortam Road, Purnia, Bihar-854301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2895 dt. 28.07.2025 that my name is written in my son Animesh Anand's 10th all educational documents as Anjan Srivastava whereas in my Aadhar Card as Anjan Kumar Srivastava. Both names are same and one person. From now I will be known as Anjan Kuamr Srivastava for all purposes.

Anjan Kumar Srivastava.

No. 356—मैं अशोक साह पिता-नत्थू साह साकिन-रेखा सुन्दरपट्टी, पो.-झखरा, थाना-नौतन, जिला-प. चम्पारण, बिहार शपथ पत्र सं.-3484, दिनांक 21.01. 2026 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरी पुत्री दिव्या कुमारी (Divya Kumari) के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा के अंक विवरणिका सह प्रमाण पत्र में मेरा नाम अशोक गुप्ता (Ashok Gupta) दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम अशोक साह (Ashok Sah) है। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

अशोक साह।

No. 357—I Akshara D/o Niraj Kumar R/o Mahatma Gandhi Path, Kurjeepull, PS- Digha, Patna 800010 do hereby solemnly and declare as per affidavit no. 752 dated 06.03.2026 that my name is written in Aadhar card, Pan card and All Educational Documents in my name is written as Akshara, where as birth certificate in my name is written as Akshara shah. Akshara and akshara shah both are the same and one person. From now I shall be known as Akshara shah for all purpose.

Akshara.

No. 358—I, Mohammad Amjad Hussain S/o Mohammad Akhtar Hussain R/o Mohalla Ward No.-23, L.N. Road, Islampur, P.S.-Town, P.O.-H.P.O., Muzaffarpur- 842001 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-38 dt.- 04.10.24 that my name is written in my son Afroz Hussain's CBSE 10th and 12th all educational documents as Amjad Hussain which is wrong. As per aadhar Card my true/ correct name is Mohammad Amjad Hussain. Mohammad Amjad Hussain and Amjad Hussain both are same and one person. From now I will be known as Mohammad Amjad Hussain for all purposes.

Mohammad Amjad Hussain.

No. 359—I, KUMARI MADHU D/o Uma Shankar Prasad R/o Road No. 15 E, Rajiv Nagar, Patna-800024 declare vide affidavit no. 2324 dated 11.02.26 shall be known as Madhu Gupta.

KUMARI MADHU.

No. 360—I, Nagendra Kumar S/o Krishna Singh R/o Chhotki Murari Kako Jehanabad, P.O.-Bhadsara, P.S.-Pali, Distt.-Jehanabad, Bihar-804418 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-261 dt. 14.01.2026 that my name is written as Nagendra Singh in my son Bhanu Pratap Singh's CBSE 10th all educational documents. In Aadhar Card and Pan Card written as Nagendra Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Nagendra Kumar for all purposes.

Nagendra Kumar.

No.361—I, Rinku Kumari W/o Nagendra Kumar R/o Chhotki Murari, Kako Jehanabad, P.O.-Bhadsara, P.S.-Pali, Disst.- Jehanabad, Bihar-804418 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-260 dt. 14.01.2026 that my name is written in Rinku Devi in my son Bhanu Pratap Singh's CBSE 10th all educational documents. In Aadhar Card and Pan card written as Rinku Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Rinku Kumari for all purposes.

Rinku Kumari.

No. 362—I, Punam Kumari, w/o Sri Shashi Bhushan Sinha, R/O Mohalla Kamla Bhawan, Opposite Kali Bari, Sahmir Takiya Road, P.S. Civil Lines, Distt. Gaya, declare vide affidavit no. 20074 dated 09.02.26 that Ayush Srivastava is my son, and in the educational documents of my son namely Ayush Srivastava, the name of his mother is mentioned as Punam Srivastava. In Aadhaar card my name is mentioned as Punam Kumari. Punam Kumari and Punam Srivastava both are same and one person. I will be known as Punam Kumari for all purposes.

Punam Kumari.

No. 363—I, Alpana Kumari W/o Ravi Ranjan Kumar R/o Vill+P.O.-Sarbadhi, P.S.-Manpur, Distt.-Nalanda, Bihar-803107 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-22 dt. 06.02.2026 that my name is written in my son Gaurav Patel's C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Alpana Devi. In Aadhar Card written as Alpana Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Alpana Kumari for all Purposes.

Alpana Kumari.

No. 364—I, Ravi Ranjan Kumar S/o Rajendra Pasad R/o Village+P.O-Sarbahdi, P.S.-. Manpur, Distt.-Nalanda, Bihar-803107 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-21 dt. 06.02.2026-that my name is written in my son Gaurav Patel's C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Ravi Ranjan. In Aadhar Card written as Ravi Ranjan Kumar. Both names are same and one person. From now I shall be known as Ravi Ranjan Kumar for all purposes.

Ravi Ranjan Kumar.

No. 370—I, Kumari Nitu Nirmal W/o Lalan Kumar Yadav R/o Raje Manigachhi, Lilababu Tola, P.O-Manigachhi Darbhanga-847424, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-835, dt. 12.02.2026 that my name is written in my Aadhar Card as Nitu Devi. In my educational Certificate written as Kumari Nitu Nirmal. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Nitu Nirmal for all future purposes.

Kumari Nitu Nirmal.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>